न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

केस संख्याः– 173/2020 निर्णय दिनांक :– 11.03.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. अशोक पुत्र सोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
2. कमलचन्द पुत्र मूल्या जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
3. गोपाल पुत्र बदरी जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
4. निर्मला नागर पत्नी राजेश कुमार जाति नागर (धाकड़) निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
5. प्रेम पुत्री मोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
6. भूरी पत्नि सोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
7. महावीर पुत्र मोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
8. माया पुत्री मोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
9. मोहिनी पुत्री बदरी जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
10. रेखा पुत्री सोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
11. रामप्रसाद पुत्र सोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
12. रामेश्वर प्रसाद पुत्र मोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।
13. लाड पुत्री सोहन जाति खाती निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला टोंक।

–प्रार्थीगण/आवेदकगण–

बनाम

1. तहसीलदारजी देवली, तहसील देवली जिला–टोंक।
2. हेमराज पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला–टोंक।

2/1 मनोज पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला–टोंक।
2/2 चैना पुत्री हरजी जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला–टोंक।
2/3 आशा पुत्री हरजी जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला–टोंक।
2/4 अनिता पुत्री हरजी जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला–टोंक।
2/5 कैलाशी पत्नि हरजी जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली, जिला–टोंक।

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या
2/1 व 2/4 ता 2/5
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध

अप्रार्थीगण संख्या 2/2 ता 2/3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की जमीन हाल ख0नं0 404 रकबा 0.48 है0, ख0नं0 409 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 410 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.55 है0, किता 4 कुल रकबा 1.93 है0, वाके ग्राम संग्रामपुरा तहसील देवली स्थित है, उक्त भूमि ग्राम संग्रामपुरा की सीमा पर ग्राम निवारिया की सीमा से मिलती हुई है दोनों ग्राम पटवार हल्का निवारिया में स्थित है। आवेदकगण की खातेदारी का खेत ख0नं0 404 के अडवा ख0नं0 406 स्थित है। आवेदकगण की खातेदारी का खेत ख. नं. 404 के अड़वाा ख. नं. 406 स्थित है जो प्रतिपक्षी नं. 1 के पिता हरजी की खातेदारी अंकित है, हरजी का देहान्त हो गया है प्रतिपक्षी नं0 2 हरजी का कायम मुकामान है क्योंकि अभी तक मृतक हरजी की विरासत का नामान्तकरण नही खोला गया है इस कारण उसके वारिस को पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार ख0नं0 406 के नजदीक ख0नं0 2234 रकबा 0.23 है0 भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक अंकित है और ग्राम निवारिया मे स्थित है उक्त ख0नं0 223 के पश्चिम दिशा की तरफ ख0नं0 2162 आम रास्ता है जो भी ग्राम निवारिया में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो मे जाने के लिए कोई भी रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगण ख0नं0 406 मे से होकर ख0नं0 2234 मे से 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहते है। बिना रास्ते के प्रार्थीगण अपने खेतो मे बुआयी नही कर पा रहे है। संलग्न नक्शे मे चाहे गये रास्ते को अक्षर ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. से लाल रंग से प्रदिर्शित किया गया है। उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण नियमानुसार डीएलसी की दुगनी राशि न्यायालय मे जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता बहुत ही आवश्यक है क्योंकि प्रार्थीगण के खेतो मे जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपपब्ध नही है, रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के खेतो की हंकाई, जुताई, बुवाई मे काफी परेशानी होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी के खेतो मे जाने के लिए संलग्न नक्शे मे दर्शाये गये ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. से लाल रंग से प्रदर्शित किये गये स्थान पर रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें और उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे तथा शीट मे तरमीम की जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2/2 व 2/3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 2/1 व 2/4 ता 2/5 की ओर से वकालतनामा व जवाब श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता ने पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रार्थीगण की आराजी के अडवा भूमि खसरा नम्बर 406 व गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 2162 तन निवारिया के मध्या आराजी ख. नं. 2234, 2235, 2236,2237, 2238 स्थित है। इन खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अंस्वीकार है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही गै.मु.रास्ता आराजी खसरा नम्बर 425 वाके तनग्राम संग्रामपुरा में अपनी खातेदारीं के अडवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 411, 412 तनग्राम संग्रामपुरा में आता–जाता रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। विशेष आपत्तिया–प्रार्थीगण ने मनगढत तथ्य वर्णित करते हुए अप्रार्थीगण को हेरान व परेशान करने की नियत से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही गै.मु. रास्ता आराजी खसरा नम्बर 425 वाके तनग्राम संग्रामपुरा में अपनी खातेदारी के अडवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 411,412 तनग्राम संग्रामपुरा में आते–जाते रहे है। प्रार्थीगण को आज भी मौके पर अपनी खातेदारी की भूमि आने–जानेव काश्तकारी कार्य करने हेतु रास्ता बना हुआ है। लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की नियत से व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के स्वरूप को बिगाडने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी भूमि वाके ग्राम संग्रामपुरा में है जो ग्राम निवारिया की सीमा पर स्थित हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 तहसीलदार से जवाब/ मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार हैः–प्रार्थी की आराजियात में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को चाहे जाने वाले रास्ते हेतु ग्राम संग्रामपुरा के ख0नं0 406/0.15 है0 में से एक साइड मे 0.26 है0 भूमि (20 X 26/2 = 260 वर्ग मीटर अर्थात 0.026 है0 भूमि) एवं ग्राम निवारिया के ख0नं0 2234/0.23 में से 109 मी0 X 4.57 मी0 बराबर 498.13 वर्ग मीटर अर्थात 0.05 है0 भूमि की आवश्यकता है। उक्त आराजियात आबादी से लगभग क्रमशः 770 मी0 व 879 मी0 दूरी पर है। इसी प्रकार ग्रामीण डामरीकृत सड़क से निवारिया की आराजी सटकर एवं ग्राम संग्रामपुरा की आराजी 109 मीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम संग्रामपुरा की डीएलसी दर 283437 रू. प्रति है0 से ख0नं0 406/0.15 मे से 0.026 है0 भूमि की दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 14740 रूपये तथा ग्राम निवारिया की डीएलसी दर 361586 रूपये प्रति है0

की दर से ख0नं0 2234/0.23 मे से 0.05 है0 भूमि की दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 36160 रूपये होगी। इस प्रकार कुल प्रतिकर राशि 50900 रूपये होगी। डीएलसी दर की प्रति संलग्न है। आवेदक की आराजियात संहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ग्राम निवारिया के ख0नं0 2234 व ग्राम संग्रामपुरा के ख0नं0 406 मे से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दिवार आदि स्थित नही है। अप्रार्थीगण ग्राम संग्रामपुरा के आराजी का खातेदार रास्ता देने के लिए सहमत नही है। ग्राम निवारिया की भूमि सिवायचक है जिसमें सहमति श्रीमान के स्तर पर तय होनी है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः उक्तानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा मे मय जमाबंदी व नक्शा ट्रेस (प्रस्तावित) के पेश है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने भी इस बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना व प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पूर्व से गै. मु. रास्ता आराजी ख. नं. 425 के अडवा ही अपनी अन्य आराजी ख 411 व 412 से विवादित आराजी आराजी में आते जाते रहे है और आज भी मौके पर रास्ता बना हुआ है। अप्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व आराजी ख. नं. 2234 जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, का स्वरूप बिगाडने के लिए भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है, अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अप्रार्थीगण ने रास्ता नहीं देने हेतु अपने जवाब व बहस में कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम संग्रामपुरा के ख0नं0 406 रकबा 0.15 है0 में से मे 0.026 है0 भूमि (20 X 26/2 = 260 वर्ग मीटर अर्थात 0.026 है0 भूमि) ग्राम

संग्रामपुरा की डीएलसी दर 283437 रू. प्रति है0 भूमि की दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 14740 रूपये एवं ग्राम निवारिया के ख0नं0 2234 रकबा 0.23 है0 में से 109 मी0 X 4.57 मी0 बराबर 498.13 वर्ग मीटर अर्थात 0.05 है0 भूमि, ग्राम निवारिया की डीएलसी दर 361586 रूपये प्रति है0 की दर से ख0नं0 2234 रकबा 0.23 है0 मे से 0.05 है0, भूमि की दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 36160 रूपये कुल प्रतिकर राशि 50900 रूपये अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली